राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें राज0 जयपुर

क्रमांक :– ई–33/ले.टे./(1146–।।)/2016/ 981 दिनांक :25·7·16

आदेश

निम्नलिखित लेब टैक्नीशियनों/प्रयोगशाला सहायकों को उनके नामो के सम्मुख अंकित परीक्षा/प्रशिक्षण में स्वयंपाठी छात्र के रूप में बैठने की अनुमति/अनापत्ति निम्नलिखित शर्तो के साथ प्रदान की जाती है :–

क्र. स.	कर्मचारी का नाम एवं पद	पदस्थापन जिला	आयोग/संस्थान का नाम	परीक्षा का नाम
1.	श्री शुभम शर्मा, लेब टैक्नीशियन	जयपुर	निम्स यूनिवर्सिटी, जयपुर	बी.एस.सी. एम.एल.टी.(दूरस्थ शिक्षा)
2.	श्री राजेश कुमार विजय, लेब टैक्नीशियन	जयपुर	निम्स यूनिवर्सिटी, जयपुर	बी.एस.सी. एम.एल.टी.(दूरस्थ शिक्षा)
3.	हरिओम मण्डल, लेब टैक्नीशियन	बारां	वर्धमान खुला विश्वविधालय, कोटा	एम.एस.सी (रसायन) परीक्षा वर्ष 2015–16
4.	श्री राजेन्द्र कुमार, प्रयोगशाला सहायक	बीकानर	राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा सस्थान	कक्षा 12 वी विज्ञान वर्ग परीक्षा वर्ष 2015–16
5.	श्री सत्यपाल यादव, प्रयोगशाला सहायक	जयपुर	राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर	एम.ए. पूर्वाद्ध राजनितिक विज्ञान (स्वयपाठी परिक्षार्थी) परीक्षा वर्ष 2015–16
6.	श्री रवि कुमार, लेब टैक्नीशियन	अजमेर	एम.डी.एस यूनिवर्सिटी, अजमेर	एम.ए. (फाईनल) परीक्षा 2015–16
7.	श्री सुनिल कुमार शर्मा, लेब टैक्नीशियन	दौसा	नॉन–कॉलेज	बी.एस.सी पाठयक्रम (नॉन कॉलेज)परीक्षा वर्ष 2015–16
8.	श्री निर्मल कुमार महर्षि, लेब टैक्नीशियन	चूरू	निम्स यूनिवर्सिटी, जयपुर	एम.एस.सी.(केमेस्ट्री) पूर्वाद्ध (पत्राचार) परीक्षा वर्ष 2016
9.	श्री नीतेश माहेश्वरी, लेब टैक्नीशियन	जोधपुर	निम्स यूनिवर्सिटी, जयपुर	एम.एस.सी.(केमेस्ट्री) (पत्राचार) परीक्षा वर्ष 2015–16
10.	श्री रविन्द्र कच्छवाहा, प्रयोगशाला सहायक	जोधपुर	राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान	उच्च माध्यमिक स्वयंपाठी परीक्षा 2015–16
11.	श्री बाबूलाल, लेब टैक्नीशियन	कुचामन सिटी	वर्धमान ओपन यूनिवर्सिटी कोटा	एम.एस.सी.(केमेस्ट्री प्रथम वर्ष) पत्राचार परीक्षा वर्ष 2015–16
12.	श्री मुनेन्द्र बांगडा, लैब टैक्नीशियन	अजमेर	दिल्ली द्वारा प्राकृतिक चिकित्सा	D.N.Y.S. डिप्लोमा पत्राचार परीक्षा वर्ष 2016

(5)

शर्ते निम्न प्रकार हैः–

1. शिक्षण संस्थान में अध्ययन का समय यदि कार्यालय समय के समान ही हों तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः ही समाप्त मानी जावेगीं ।
2. राजसेवक का पदस्थापन अध्ययन स्वीकृति संस्थान के मुख्यालय से परिवर्तित/स्थानान्तरण हो जाता है तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः ही समाप्त हो जावेगीं ।
3. प्रत्येक वर्ष के लिये अलग–अलग अनुमति लेनी आवश्यक होगीं ।
4. विभाग की पूर्व अनुमति प्राप्त किये बिना अध्ययन चालू रखने एंव परीक्षा में सम्मिलित होने वाले कर्मचारियों के विरूद्व नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगीं ।
5. जिन कर्मचारियों को इस वर्ष उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु अथवा अध्ययन जारी रखने एंव परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति दी जावेगीं उन्हे परीक्षा दिवस के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश स्वीकृत नही किया जावेगा ।
6. अध्ययन स्वीकृति दिये जाने से अधिकारी कर्मचारी को किसी संस्था विशेष पर पदस्थापन निरन्तर रखने का अधिकार नही मिल पायेगा और उसका स्थानान्तरण किया जा सकता है ।
7. अध्ययन से राजसेवक दैनिक राजकीय कार्यसंपादन में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही करेगा अन्यथा स्वीकृति समाप्त कर दी जावेगी ।
8. अध्ययन वर्ष में अधिकारी/कर्मचारी की उपस्थिति का प्रतिशत कम होने के लिये सरकार/विभाग किसी प्रकार से जिम्मेदार नही होगा ।
9. परीक्षा की तैयारी हेतु किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नही किया जायेगा ।
10. प्रशासनिक कारणों से लोकहित/राज्य हित में स्वीकृति/अनुमति बिना कोई सूचना के निरस्त की जा सकती है ।
11. राज्य सरकार द्वारा किसी प्रकार का वित्तीय भार वहन नही किया जायेगा ।
12. अर्जित योग्यता के आधार पर विभाग किसी प्रकार का लाभ का पद देने हेतु बाध्य नही होगा।
13. यदि इनका चयन उक्त पद पर हो जाता है तो विभाग में इनका लियन नही रहेगा।

नोटः–उक्त कर्मियों में यदि कोई संविदा/समेकित वेतन पर कार्यरत है तो उनके मामले में यह आदेश लागू नहीं होगा।

— Sd —
(श्याम लाल गुर्जर)
अति0 निदेशक(प्रशासन),
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राज0, जयपुर।

क्रमांक :– ई–33/ले.टे./(1146–II)/2016/ 981. दिनांक : 25.7.16.

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. संबंधित प्रधानाचार्य/अधीक्षक, चिकित्सालय।
2. संबंधित मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी।
3. संबंधित प्रमुख चिकित्सा अधिकारी।
4. संबंधित खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी।
5. संबंधित, प्रभारी, सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी/प्रा0स्वा0 केन्द्र।
6. प्रभारी, सर्वर रूम, क.नं. 302, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने का श्रम करें । 0141 – 2222683
7. संबंधित कर्मचारियों को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी ।
8. आदेश पत्रावली।

25.7.16

अति0 निदेशक(प्रशासन),
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राज0, जयपुर।